भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2505
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायत समितियों को अनुदान

2505. श्री भजन लाल जाटवः

क्या पंचायती राजमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की राशि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के खातों में आवंटित/हस्तांतरित कर दी गई है;

(ख) यहि हां, तो उक्त राशि किस तारीख को हस्तांतरित की गई तथा कितनी राशि दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जी हां, महोदय। पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान 28 राज्यों में पंचायतों के सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों और पारंपरिक निकायों को प्रदान किया जाता हैं।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अबद्ध अनुदान और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बद्ध अनुदान की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान जारी करता है। राज्य सरकारें पंद्रहवां वित्त आयोग का अनुदान प्राप्त होने पर, इसे नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के आधार पर और पंद्रहवां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित बैंड के अनुरूप सभी स्तरों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के खातों में स्थानांतरित करती हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। राज्यों को सभी स्तरों की पंचायतों के लिए पहली किस्त जून माह में तथा दूसरी किस्त अक्टूबर माह में जारी की जाती है, बशर्ते कि पिछली किस्तों के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14/07/2021 को जारी परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अन्य निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया हो।

राज्य सरकारें प्राप्त अनुदान को 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना होता है। 10 कार्य दिवसों से अधिक का विलंब होने पर राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर औसत प्रभावी ब्याज दर के अनुसार विलंब की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान जारी करना होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

*****